

**डिकी बमुकदमें इबतदाई**

(आदेश 20 नियम 6.7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- आकोडा

मु०न० 233/2017

वादीगण-

**राजस्व लोक अदालत अभियान  
न्याय आपके द्वार-2018**

1. केसाराम पुत्र धुड़ाराम
2. श्रीराम पुत्र धुड़ाराम
3. कुम्भाराम पुत्र धुड़ाराम जातियान मेघवाल निवासीगण डोडू तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. तुलछा देवी पुत्री धुड़ाराम
2. जडाव पत्नि धुड़ाराम
3. धन्नी देवी पुत्री धुड़ाराम जातियान मेघवाल निवासीगण डोडू तहसील जायल जिला नागौर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88  
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-05.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 केसाराम के हक बंट में मौजा डोडू का खेत ख नं 14 रकबा 65.06 बीघा में से 21.15 बीघा मध्य भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 श्रीराम के हक बंट में मौजा डोडू का खेत ख नं 14 रकबा 65.06 बीघा में से 20.16 बीघा पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सामलाती हक बंट में मौजा डोडू का खेत ख नं 14 रकबा 65.06 बीघा में से 1 बीघा पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी संख्या 3 कुम्भाराम के हक बंट में मौजा डोडू का खेत ख नं 14 रकबा 65.06 बीघा में से 21.15 बीघा पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख वसूल योग्य है जो को अदा करें। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05.06.2018 को जारी किया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

**उपखण्ड अधिकारी**

जायल, जिला नागौर

मुकदमा	रूपये	पैसे	मुदायला	जायल, जिला नागौर
स्टाम्प अर्जा दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह खर्च मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीनर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिफ			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जा मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीनर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिफ	

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

**उपखण्ड अधिकारी**

जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- आकोडा

क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/

दिनांक-

तहसीलदार जायल को डिगरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिगरी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

**उपखण्ड अधिकारी**  
जायल, जिला नागौर